



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



27 आषाढ़, 1946 (श०)

संख्या - 466 राँची, गुरुवार,

18 जुलाई, 2024 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

11 मार्च, 2024

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह अप्रैल 2024 से वितरण होने वाले खाद्यान्न के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन की दर रुपये 100/- प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये) प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति के संबंध में।

ज्ञापांक- खा०प्र०-01/ NFSA(CSS)/7-1/2023-804--राज्य में माह अक्टूबर, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है जिसके अन्तर्गत लाभुकों को दो श्रेणियों यथा अंत्योदय अन्न योजना के गृहस्थ तथा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ के तहत आच्छादित करते हुए जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) वितरण किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के गृहस्थ को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह तथा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ के लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह वितरित किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत अंत्योदय अन्न योजना के गृहस्थ तथा अंत्योदय अन्न योजना के गृहस्थ को अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-7577, दिनांक 18.12.2015 के आलोक में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कार्य के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली दुकानदार को 80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन दिया जाता था। तत्पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या 5219, दिनांक 22.12.2016 के आलोक में खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को रुपये 100/- प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन दिया जा रहा था, जो माह दिसम्बर, 2016 से प्रभावी था।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत माह जनवरी, 2023 के पूर्व लाभुकों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से खाद्यान्न वितरण किया जाता था। लाभुकों से प्राप्त उपभोक्ता मूल्य एक रुपये प्रति किलोग्राम को जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा डीलर कमीशन के रूप में रखने का प्रावधान था। माह जनवरी, 2023 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उनके बैंक खाता में रुपये 100/- प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन का भुगतान किया जा रहा है।
4. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन तथा डीलर मार्जिन को केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके आलोक में राज्य में केन्द्र प्रायोजित “ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना” संचालित की जा रही है। योजना का संचालन Single Nodal Account (SNA) के माध्यम से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में उपबंधित राशि से खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन का भुगतान Public Finance Management System (PFMS) से किया जा रहा है।
5. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के वितरण हेतु डीलर मार्जिन पर Central Assistance की राशि राज्य को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अप्रैल, 2022 के पूर्व भारत सरकार द्वारा डीलर मार्जिन पर देय Central Assistance की राशि निम्नवत् थी:-

Dealers' Margin		Total (Rs. per Qntl.)	Central Share
Basic Margin (Rs. per Qntl.)	Additional Margin for sale through Point of sale device (Rs. per Qntl.)		
70.00	17.00	87.00	50 % (Rs. 43.50 per Qntl.)

अप्रैल 2022 के प्रभाव से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु डीलर कमीशन पर देय Central Assistance की दर में वृद्धि की गई है जो निम्नवत् है

Dealers' Margin		Total (Rs. per Qntl.)	Central Share
Basic Margin (Rs. per Qntl.)	Additional Margin for sale through Point of sale device (Rs. per Qntl.)		
90.00	21.00	111.00	50 % (Rs. 55.50 per Qntl.)

6. भारत सरकार द्वारा डीलर मार्जिन मद में निर्धारित दर अथवा राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाने वाले राशि में से जो कम हो उसी के अनुरूप 50 प्रतिशत राशि Central Assistance के रूप में भारत सरकार द्वारा विमुक्त की जाती है।
7. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण ई(Electronic Point of sale) के माध्यम से किया जाता है, परन्तु डीलर कमीशन की राशि रुपये 100.00 प्रति क्विंटल निर्धारित रहने के कारण डीलर कमीशन के रूप में विभाग को रुपये 90 + रुपये 21 = रुपये 111.00 प्रति क्विंटल के स्थान पर रुपये 100.00 प्रति क्विंटल की दर से 50 प्रतिशत राशि ही Central Assistance के रूप में अनुमान्य होता है। तदनुसार रुपये 50.00/- प्रति क्विंटल की दर से डीलर मार्जिन मद में भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त होती है।
8. जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सम्प्रति दिया जा रहा रुपये 100.00 प्रति क्विंटल डीलर कमीशन का दर दिसम्बर 2016 से लागू है। विगत 07 वर्षों में महंगाई में वृद्धि होने के कारण राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघों द्वारा डीलर कमीशन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के तहत माह अप्रैल 2024 से होने वाले खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये) प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन का भुगतान किया जायेगा जिसमें Basic Dealers' Margin तथा Additional Dealers' Margin निम्नवत् होगाः

Basic Dealers' Margin	:-	Rs. 120.00 per Qntl.
Additional Dealers' Margin	:-	Rs. 30.00 per Qntl.
कुल योग		Rs. 150.00 per Qntl.

10. केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना" अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डीलर कमीशन मद में सम्प्रति केन्द्रांश में रुपये 87.679 करोड़ (रुपये सतासी करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र) तथा राज्यांश

में रुपये 87.679 करोड़ (रुपये सतासी करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र) कुल रुपये 175.358 करोड़ (एक अरब पचहत्तर करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का निम्नवत् वार्षिक व्यय होता था:-

वितरण होने वाले खाद्यान्न की वार्षिक मात्रा (क्विंटल में)	डीलर कमीशन	भारत सरकार द्वारा देय केन्द्रांश की राशि (वार्षिक)		राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश की राशि (वार्षिक)		कुल व्यय भार (वार्षिक)	
		दर (Rs./Qntl)	राशि (करोड़ रु० में)	दर (Rs./Qntl)	राशि (करोड़ रु० में)	दर (Rs./Qntl)	राशि (करोड़ रु० में)
17535780.00	Basic	45.00	78.911	45.00	78.911	90.00	157.822
	Additional	05.00	8.768	05.00	8.768	10.00	17.536
Total		50.00	87.679	50.00	87.679	100.00	175.358

11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए डीलर कमीशन की दर रुपये 150 प्रति क्विंटल किये जाने के फलस्वरूप केन्द्र प्रायोजित “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना” अंतर्गत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश में रुपये 97.324 करोड़ (रुपये संतानवे करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) एवं राज्यांश में रुपये 97.324 करोड़ (रुपये संतानवे करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) तथा राज्यांश से Top up के रूप में रुपये 68.389 करोड़ (अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) कुल रुपये 263.037 करोड़ (दो अरब तिरेसठ करोड़ तीन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का वार्षिक व्यय संभावित है। इस प्रकार राजकोष पर प्रतिवर्ष रुपये 78.034 करोड़ (अठहत्तर करोड़ तीन लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का अतिरिक्त व्यय भार निम्न प्रकार संभावित है:-

वितरण होने वाले खाद्यान्न की वार्षिक मात्रा (क्विंटल में)	डीलर कमीशन	भारत सरकार द्वारा देय केन्द्रांश की राशि (वार्षिक)		राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश की राशि (वार्षिक)		राज्य सरकार द्वारा राज्यांश से Top UP की राशि (वार्षिक)		कुल व्यय भार (वार्षिक)	
		दर (Rs./Qntl)	राशि (करोड़ रु० में)	दर (Rs./Qntl)	राशि (करोड़ रु० में)	दर (Rs./Qntl)	राशि (करोड़ रु० में)	दर (Rs./Qntl)	राशि (करोड़ रु० में)
17535780.00	Basic	45.00	78.911	45.00	78.911	30.00	52.607	120.00	210.429
	Additional	10.50	18.413	10.50	18.413	9.00	15.782	30.00	52.608
Total		55.50	97.324	55.50	97.324	39.00	68.389	150.00	263.037

राज्यांश में अतिरिक्त व्यय भार = Rs. 97.324 करोड़ . 87.679 करोड़ =Rs. 9.645 करोड़	
राज्यांश से Top up के रूप में अतिरिक्त व्यय भार	=Rs. 68.389 करोड़
कुल अतिरिक्त व्यय भार	= Rs. 78.034 करोड़

12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए बढ़े हुए दर से डीलर कमीशन का भुगतान केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना" अंतर्गत निम्नलिखित बजटशीर्ष अंतर्गत रुपये 591.30 करोड़ का प्रस्तावित बजटीय उपबंध से किया जाएगा:-

केन्द्रांश:-3456-सिविल पूर्ति-00-796/102/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ सिविल पूर्ति योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-79- NFSA अंतर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन-00-06-अनुदान-52-सब्सिडी (विपत्र कोड- 18-C-3456-00-796/102/789-79-00-06-52)

राज्यांश:-3456-सिविल पूर्ति-00-796/102/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ सिविल पूर्ति योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-79- NFSA अंतर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन-00-06-अनुदान-52-सब्सिडी (विपत्र कोड- 18-S-3456-00-796/102/789-79-00-06-52)

Top Up:-3456-सिविल पूर्ति-00-796/102/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ सिविल पूर्ति योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-79- NFSA अंतर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन-00-06-अनुदान-52-सब्सिडी (विपत्र कोड- 18-X-3456-00-796/102/789-79-00-06-52)

13. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-762, दिनांक 06.03.2024 पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 06.03.2024 की बैठक की मद संख्या-32 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
